भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2435
मंगलवार, 06 अगस्त, 2024/8 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

पीएसीएस के लिए निगरानी तंत्र

2435. श्री मनीष जायसवालः
श्री जनार्दन मिश्राः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी सोसाइटी (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना के अंतर्गत सरकार और विभिन्न हितधारकों द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(ख) सरकार द्वारा उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए क्या प्रणाली तैयार की गई है;
(ग) पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण परियोजना के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार की निगरानी व्यवस्था लागू की गई है;
(घ) इसमें केन्द्र और राज्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) इस संबंध में नाबार्ड की भूमिका का ब्यौरा क्या है; और
(च) इससे किसानों को मिलने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) को सशक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2,516 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने की परियोजना का अनुमोदन किया गया है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना है । परियोजना हेतु 2,516 करोड़ रुपए की कुल बजट में से भारत सरकार, राज्य सरकारों और नाबार्ड का हिस्सा क्रमश: 1528 करोड़ रुपए, 736 करोड़ रुपए और 252 करोड़ रुपए है ।

(ख) से (ङ): नाबार्ड इस परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है और राष्ट्र स्तरीय निगरानी और कार्यान्वयन समिति और सहकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में केंद्रीय स्तर पर पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के परियोजना प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है । इस योजना के कार्यान्वयन की रीयल-टाइम निगरानी और प्रभावशाली फीडबैक के लिए राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समितियां गठित हुई हैं ।

इसके अलावा, इस परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नाबार्ड, मुख्यालय की एक कोर-टीम की स्थापना की गई है जिसमें बतौर सदस्य इसके अधिकारियों को शामिल किया गया है । इस परियोजना हेतु कोर-टीम की सहायता के लिए नाबार्ड द्वारा परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) की सेवाएं ली गई हैं । नाबार्ड ने PMU के लिए संविदा के आधार पर स्टाफ/पेशेवर/तकनीकी विशेषज्ञों को किराए पर लिया है । इसी प्रकार, नाबार्ड ने राज्य स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी में राज्यों की सहायता के लिए राज्य PMUs भी स्थापित किया है जो राज्य-स्तरीय सपोर्ट सेंटर के रूप में भी कार्य करेंगे । इसके अलावा नाबार्ड, भारत

सरकार की ओर से इस कॉमन सॉफ्टवेयर और इस सॉफ्टवेयर पर सृजित/संग्रहित सभी वित्तीय और निजी डेटा के अभिरक्षक के रूप में भी कार्य करेगा । इस परियोजना की समाप्ति पर नाबार्ड, राज्य सरकारों के समन्वय से इस सिस्टम को प्रबंधित करेगा और इसकी संवहनीयता के लिए उत्तरदायी होगा । इस परियोजना के राष्ट्र-स्तरीय कॉमन सॉफ्टवेयर को नाबार्ड द्वारा विकसित किया गया है । परियोजना के विभिन्न हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों नीचे उल्लिखित हैं:

i. सहकारिता मंत्रालय – राष्ट्र-स्तरीय निगरानी और कार्यान्वयन समिति (NLMIC) के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी का पर्यवेक्षण करेगा ।
ii. राज्य सरकार – राज्य और जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समितियों (SLIMC and DLIMC) के माध्यम से राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन का प्रबंधन करेगा और राष्ट्र-स्तरीय निगरानी और कार्यान्वयन समिति (NLMIC) के साथ डेटा-तैयारी (data readiness), हार्डवेयर प्रापण और समन्वय सुनिश्चित करेगा ।
iii. नाबार्ड -केंद्रीय स्तर पर परियोजना प्रबंधक के रूप में कार्य करेगा जिसे एक कोर-टीम और परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी ।
iv. राज्य सहकारी बैंक – समर्पित कंप्यूटरीकरण प्रकोष्ठ स्थापित करेंगे और राज्य और जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समितियों (SLIMC और DLIMC) के बीच समन्वय करेंगे ।
v. जिला केंद्रीय सहकारी बैंक – कंप्यूटरीकरण प्रकोष्ठों की स्थापना, प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) की तैयारी में सहायता, और राष्ट्रीय डेटा भंडार में डेटा ट्रांस्फर सुनिश्चित करेंगे !
vi. प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (PACS) – पात्रता का सत्यापन, अवसंरचना तैयारी सुनिश्चित करना और डेटा इंटिग्रिटी का अनुरक्षण करेंगी ।
vii. राष्ट्र-स्तरीय पैक्स सॉफ्टवेयर वेंडर (NLPSV) – सॉफ्टवेयर के लिए अनुकूलन प्रदान करेंगे ।
viii. सिस्टम इंटिग्रेटर (SI) – राज्य-वार सॉफ्टवेयर के इस्टॉलेशन, डेटा का डिजिटलकरण, माइग्रेशन, एकीकरण, और प्रशिक्षण का कार्य हैंडल करेंगे ।

(च): इस परियोजना के अधीन पैक्स के स्तर पर कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) से पैक्स के शासन और पारदर्शिता में सुधार आएगा जिसके फलस्वरूप ऋणों का त्वरित संवितरण होगा, लेनदेन लागत घटेगी, भुगतान असंतुलनों में कमी आएगी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के साथ निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित होगा तथा दक्षता में भी वृद्धि होगी । इससे पैक्स के कार्यकरण के प्रति किसानों के बीच विश्वसनीयता में भी वृद्धि होगी जो "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने में सहायक होगा ।

पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना, पैक्स हेतु आदर्श उपविधियों के अधीन निर्दिष्ट सभी आर्थिक कार्यकलापों के लिए एक समग्र ईआरपी सॉल्यूशन प्रदान करने हेतु अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक ऋणों के लिए वित्तीय सेवाएं, प्रापण कार्यों, सार्वजनिक वितरण की दुकानों (PDS) संबंधी कार्य, व्यवसाय नियोजन, भांडागारण, क्रय-विक्रय, उधार, आस्ति प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, आदि जैसे विभिन्न मॉड्यूलों को शामिल करते हैं ।

इस परियोजना का लक्ष्य किसानों की अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक ऋणों तक पहुंच में सुधार करना है । इसके अतिरिक्त, पैक्स के आदर्श उपविधियों में वर्णित विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों के विभिन्न मॉड्यूलों को शामिल करके कंप्यूटरीकरण के माध्यम से किसान पैक्स स्तर पर ही इन सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे । इससे पैक्स के आर्थिक कार्यकलापों के विविधीकरण में भी सहायता मिलेगी जिससे किसान सदस्यों को आय के अतिरिक्त और संवहनीय स्रोत प्राप्त हो सकेंगे ।

*****